



बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सितम्बर 2015 से राज्य में सभी श्रेणी के लाभुकों को खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति

राशन-किरासन कूपन

के माध्यम से की जाएगी।



- इसके लिए सभी पात्र लाभुकों को राशन/किरासन कूपन उपलब्ध कराया गया है। अतिरिक्त पात्र लाभुकों हेतु शीघ्र ही राशन/किरासन कूपन उपलब्ध कराया जाएगा। तत्काल उन्हें राशन कार्ड पर ही वितरण।
- जिस माह का खाद्यान्न या किरासन तेल लाभुकों को प्राप्त हो कूपन उसी माह का जन वितरण विक्रेता को लाभुक देंगे। किसी भी परिस्थिति में एक माह के लिए एक से अधिक कूपन न दें।
- किरासन तेल के लिए कूपन में अंकित दर एवं मात्रा के अनुसार लाभुक राशि का भुगतान करते हुए किरासन तेल प्राप्त करेंगे जो शहरी क्षेत्र के लिए 2.25 लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.75 लीटर है।
- खाद्यान्न के लिए (पूर्विता प्राप्त गृहस्थियों एवं अन्त्योदय परिवार) कूपन में अंकित दर एवं मात्रा के अनुसार लाभुक राशि भुगतान करते हुए खाद्यान्न प्राप्त करेंगे।
- सभी अत्योदय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न (21 किलो चावल एवं 14 किलो गेहूँ) एवं सभी पूर्विता प्राप्त लाभुक को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न (3 किलो चावल एवं 2 किलो गेहूँ) देय होगा।

राशन कूपन योजना अंतर्गत :

पूर्विकता प्राप्त श्रेणी के लाभार्थियों को लाल रंग का कूपन

अन्नपूर्णा लाभार्थी को सफेद रंग का कूपन

अत्योदय लाभार्थी को पीला रंग का कूपन

किरासन कूपन योजना अंतर्गत नीले रंग का कूपन

उपलब्ध कराया गया है।